Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

154-2015/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 28, 2015 (BHADRA 6, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 28th August, 2015

No.8-HLA of 2015/69/13643.—The Haryana Police (Amendment) Bill, 2015, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 8- HLA of 2015.

THE HARYANA POLICE (AMENDMENT) BILL, 2015

A

BILL

further to amend the Haryana Police Act, 2007.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Police (Amendment) Act, 2015. Short title.

2. In the Haryana Police Act, 2007 (hereinafter called the principal Act), for sub-section (2) of section 4, the following sub-section shall be substituted, namely:- Amendment of section 4 of Haryana Act 25 of 2008.

"(2) The direct recruitment to various non-gazetted ranks in the police service shall be made through the Haryana Staff Selection Commission and gazetted posts shall be made through Haryana Public Service Commission as per relevant applicable service rules, by adopting a transparency process.".

Substitution of section 4A of Haryana Act 25 of 2008.

3. In the principal Act, for existing section 4A, the following section shall be substituted, namely:-

"4A. Dissolution of State Level Recruitment Board.- (1) The State Level Recruitment Board constituted *vide* Haryana Government, Home Department, Notification No. S.O.52/H.A. 25/2008/S.4A/2013, dated the 15th May, 2013 is hereby dissolved.

(2) Notwithstanding such dissolution,-

(a) anything done or any action taken by the State Level Recruitment Board shall not be invalidated;

(b) all the recommendations made by the State Level Recruitment Board, pending with the Home Department shall be subject to the approval of the Government;

(c) proceedings pending before the State Level Recruitment Board, before dissolution shall stand transferred to the Haryana Staff Selection Commission; and

(d) all the assets of the State Level Recruitment Board shall vest in the Home Department.".

Omission of section 4B to 4G of Haryana Act 25 of 2008.

4. Section 4B to 4G of the principal Act shall be omitted.

Repeal and savings.

5. (1) The Haryana Police (Amendment) Ordinance, 2015 (Haryana Ordinance No.1 of 2015) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Whereas it is expedient to abolish multiple recruitment agencies in the State for recruitment of Group-C posts and whereas more than 12,000 posts of Police Constables and Sub Inspectors are lying vacant and there is an urgent need to fill up these vacant posts. It is considered necessary and expedient to entrust the direct recruitment of non-gazetted ranks of the Police Department to the already existing independent recruitment body the Haryana Staff Selection Commission. Hence the Bill.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 28th August, 2015.

RAJENDER KUMAR NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2015 का विधेयक संख्या 8–एच.एल.ए.

हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015
हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007,
को आगे संशोधित करने
के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है।

2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 4 का संशोधन।

2. हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 4 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(2) पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए, सुसंगत लागू सेवा नियमों के अनुसार पुलिस सेवा में सीधी भर्ती, विभिन्न अराजपत्रित पदों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी तथा राजपत्रित पदों के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी।''।

2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 4क का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम में, विद्यमान धारा 4क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''4क. राज्य स्तरीय भर्ती बोर्ड का विघटन.– (1) हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ052/ह0अ025/2008/धारा 4क/2013, दिनांक 15 मई, 2013 द्वारा गठित राज्य स्तरीय भर्ती बोर्ड इसके द्वारा विघटित किया जाता है।

(2) ऐसे विघटन के होते हुए भी,–

(क) राज्य स्तरीय भर्ती बोर्ड द्वारा की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई अमान्य नहीं होगी ;

(ख) गृह विभाग के पास लम्बित, राज्य स्तरीय भर्ती बोर्ड द्वारा की गई सभी सिफारिशें सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगी ;

(ग) विघटन से पूर्व, राज्य स्तरीय भर्ती बोर्ड के समक्ष लम्बित कार्यवाहियां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को अन्तरित हो जाएंगी ; तथा

(घ) राज्य स्तरीय भर्ती बोर्ड की सभी आस्तियां गृह विभाग में निहित होंगी।''।

2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 4ख से 4छ का लोप।

4. मूल अधिनियम की धारा 4ख से 4छ का लोप कर दिया जाएगा।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

5. (1) हरियाणा पुलिस (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जबकि राज्य में वर्ग–ग की भर्ती के लिए कई भर्ती एन्जेसियों को खत्म करना फायदेमंद है और जबकि पुलिस विभाग में सिपाही और उप–निरीक्षकों के 12 हजार से अधिक पद खाली पड़े हैं और इन रिक्त पदों को तत्काल भरने की आवश्यकता है। पुलिस विभाग के अराजपत्रित पदों की सीधी भर्ती मौजूदा स्वतन्त्र भर्ती निकाय, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, को सौंपना आवश्यक और फायदेमंद समझा गया है। इसलिए यह बिल प्रस्तुत है।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 28 अगस्त, 2015.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।

53650—H.V.S.—H.G.P., Chd.